# विक्टोरिया के बाल सुरक्षा मानकों को समझना

बाल सुरक्षा मानक (मानक) विक्टोरिया में जनवरी 2016 में शुरू किए गए थे। तबसे लेकर हमने देखा है कि इन मानकों ने बच्चों और युवाओं की सुरक्षा में कैसे सुधार किया है।

2022 और 2023 में किए गए बदलावों ने हमारे मानकों को और भी मजबूत बना दिया है।

1 जुलाई 2022[[1]](#footnote-2) से मानकों के दायरे में आने वाले संगठनों के लिए नए 11 मानकों का पालन करना आवश्यक है।

ये 11 मानक न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं और उन कार्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं जो बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए संगठनों द्वारा उठाए जाने आवश्यक होते हैं।

ये मानक संगठनों के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में लागू अन्य मानकों के साथ अधिक संगत हैं।

इन 11 मानकों में विशिष्ट आवश्यकताएँ शामिल हैं:

* बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के संगठनों के प्रयासों में परिवारों और समुदायों को शामिल करना
* आदिवासी (एबोरिजनल) बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना
* ऑनलाइन वातावरणों में बाल शोषण के जोखिम का प्रबंधन करना
* बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए शासन, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में।

**संगठनों को क्या करने की आवश्यकता है?**

**संगठनों के लिए इन 11 मानकों का पालन करना आवश्यक है**

आयोग के पास संगठनों को मानकों को समझने और उन्हें लागू करने में सहायता देने के लिए हमारी [वेबसाइट](https://ccyp.vic.gov.au/child-safe-standards/) पर कई तरह के संसाधन उपलब्ध हैं।

आयोग द्वारा संगठनों को नए मानकों के अनुपालन में सहायता देने के लिए नई जानकारी और मार्गदर्शन जारी करने पर ईमेल भेजे जाने के लिए हम आपको [यहाँ](https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/) सदस्यता लेने के लिए बढ़ावा भी देना चाहते हैं।

यदि कोई संगठन संभावित रूप से मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो आयोग के पास उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियाँ हैं।

बाल सुरक्षा मानक क्या हैं?

11 नए बाल सुरक्षा मानक हैं:

**बाल सुरक्षा मानक 1 - संगठन सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित परिवेश की स्थापना करें जिसमें आदिवासी (एबोरिजनल) बच्चों और युवाओं की विविध और अनूठी पहचानों और अनुभवों को सम्मान और महत्व दिया जाता है**

बाल सुरक्षा मानक 1 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

1.1 सभी बच्चों को अपनी संस्कृति को व्यक्त करने और अपने सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद लेने की क्षमता को प्रोत्साहित और सक्रिय रूप से समर्थित किया जाता है।

1.2 संगठन के अंदर कार्यनीतियाँ अंतर्निहित हैं, जो सभी सदस्यों को आदिवासी संस्कृति की प्रबलताओं को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने तथा आदिवासी बच्चों और युवाओं की सकुशलता और सुरक्षा के महत्व को समझने के लिए तैयार करती हैं।

1.3 संगठन के अंदर नस्लवाद की पहचान करने, उसका सामना करने और उसे सहन न करने की प्रवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा उपाय अपनाए जाते हैं। नस्लवाद के सभी मामलों को उचित परिणामों के साथ संबोधित किया जाता है।

1.4 संगठन सक्रिय रूप से अपने अंदर आदिवासी (एबोरिजनल) बच्चों, युवाओं और उनके परिवारों द्वारा भागीदारी एवं समावेशन का समर्थन तथा सुविधा प्रदान करता है।

1.5 संगठन की सभी नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, प्रणालियाँ और प्रसंस्करण एक साथ मिलकर सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित व समावेशी वातावरण बनाती हैं तथा आदिवासी (एबोरिजनल) बच्चों, युवाओं एवं उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करती हैं।

**बाल सुरक्षा मानक 2 - बाल सुरक्षा और कुशलता संगठनात्मक नेतृत्व, शासन तथा संस्कृति में अंतर्निहित है**

बाल सुरक्षा मानक 2 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

2.1 संगठन बाल सुरक्षा के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता करता है।

2.2 बाल सुरक्षा संस्कृति संगठन के सभी स्तरों पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक समर्थित तथा आदर्शित की जाती है।

2.3 शासन व्यवस्थाएँ सभी स्तरों पर बाल सुरक्षा और कुशलता नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती हैं।

2.4 आचार संहिता कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए अपेक्षित व्यवहार मानकों तथा जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है।

2.5 जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ बच्चों और युवाओं के लिए जोखिम को रोकने, पहचानने तथा कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

2.6 कर्मचारी और स्वयंसेवक सूचना साझा करने एवं अभिलेखन पर अपने दायित्वों को समझते हैं।

**बाल सुरक्षा मानक 3 - बच्चों और युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में सशक्त किया जाता है, वे उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं तथा उन्हें गंभीरता से लिया जाता है**

बाल सुरक्षा मानक 3 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

3.1 बच्चों और युवाओं को सुरक्षा, सूचना और भागीदारी सहित उनके सभी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है।

3.2 बच्चों और युवाओं को सुरक्षित महसूस करने एवं कम अलग-थलग महसूस करने में सहायता करने के लिए मित्रताओं के महत्व को पहचाना जाता है तथा साथियों के समर्थन को प्रोत्साहित किया जाता है।

3.3 परिवेश या संदर्भ की प्रासंगिकतानुसार बच्चों और युवाओं को यौन शोषण रोकथाम कार्यक्रमों तथा प्रासंगिक संबंधित जानकारी तक उनकी उम्र के अनुसार सुलभता प्रस्तावित की जाती है।

3.4 कर्मचारी और स्वयंसेवक हानि के संकेतों के प्रति अभ्यस्त हैं तथा बच्चों व युवाओं को अपने विचारों को व्यक्त करने, निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेने एवं अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, बच्चों के लिए अनुकूल तरीकों को सुविधाकृत करते हैं।

3.5 संगठनों के पास ऐसी कार्यनीतियाँ हैं जो भागीदारी को सुविधाकृत करने तथा बच्चों और युवाओं के योगदान के प्रति उत्तरदायी संस्कृति विकसित करती हैं।

3.6 संगठन बच्चों और युवाओं को भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं तथा उनके योगदानों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे आत्मविश्वास एवं सहभागिता मजबूत होती है।

**बाल सुरक्षा मानक 4 - परिवारों और समुदायों को सूचित किया जाता है, तथा वे बाल सुरक्षा एवं कुशलता को बढ़ावा देने में शामिल होते हैं**

बाल सुरक्षा मानक 4 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

4.1 परिवार अपने बच्चे को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

4.2 संगठन बच्चों के प्रति अपने सुरक्षित दृष्टिकोण के बारे में परिवारों और समुदाय के साथ जुड़ता है तथा खुले तौर पर संवाद करता है एवं प्रासंगिक जानकारी सुलभ है।

4.3 संगठन की नीतियों और प्रथाओं के विकास और समीक्षा में परिवारों और समुदायों की भूमिका होती है।

4.4 परिवारों, देखभाल करने वालों और समुदाय को संगठन के संचालन और शासन के बारे में सूचित किया जाता है।

**बाल सुरक्षा मानक 5 - निष्पक्षता का पालन किया जाता है तथा नीति और व्यवहार में विविध आवश्यकताओं का सम्मान किया जाता है**

बाल सुरक्षा मानक 5 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

5.1 संगठन कर्मचारियों और स्वयंसेवकों सहित बच्चों व युवाओं की विविध परिस्थितियों को भी समझता है, तथा कमजोर लोगों को सहायता एवं प्रतिक्रिया प्रदान करता है।

5.2 बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित, सुलभ एवं समझने में आसान तरीके से सूचना, समर्थन तथा शिकायत प्रक्रियाओं तक सुगमता प्राप्त है।

5.3 संगठन विकलांगता-ग्रस्त बच्चों और युवाओं, सांस्कृतिक व भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमियों के बच्चों एवं युवाओं, जो घर पर रहने में असमर्थ हैं, तथा स्त्री-समलैंगिक, पुरुष-समलैंगिक, उभयलिंगी, पारलिंगी एवं अंतर्लिंगी बच्चों और युवाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देता है।

5.4 संगठन आदिवासी (एबोरिजनल) बच्चों और युवाओं की जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है तथा उनके लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है/को बढ़ावा देता है।

**बाल सुरक्षा मानक 6 - बच्चों और युवाओं के साथ काम करने वाले लोग व्यवहार में बाल सुरक्षा तथा सकुशलता के मूल्यों को दर्शाने के लिए उपयुक्त एवं समर्थित हैं**

बाल सुरक्षा मानक 6 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

6.1 विज्ञापन, संदर्भ जाँचों और कर्मचारी तथा स्वयंसेवी पूर्व-रोजगार स्क्रीनिंग सहित, भर्ती, बाल सुरक्षा एवं सकुशलता पर बल देती है।

6.2 प्रासंगिक कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की वर्तमान में बच्चों के साथ काम करने की जाँचें या समकक्ष पृष्ठभूमि जाँचें की जानी चाहिए।

6.3 सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को उपयुक्त उत्प्रेरण (इंडक्शन) प्राप्त होता है तथा वे बच्चों व युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से अवगत होते हैं, जिसमें रिकॉर्ड रखना, सूचना साझा करना एवं रिपोर्टिंग-संबंधी दायित्व भी शामिल हैं।

6.4 जारी पर्यवेक्षण तथा मानव प्रबंधन बाल सुरक्षा और सकुशलता पर केंद्रित है।

**बाल सुरक्षा मानक 7 - शिकायतों और चिंताओं के लिए प्रक्रियाएँ बाल-केंद्रित हैं**

बाल सुरक्षा मानक 7 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

7.1 संगठन के पास सुलभ, बाल केंद्रित शिकायत प्रबंधन नीति है जो नेतृत्व वर्ग, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को, विभिन्न प्रकार की शिकायतों से निपटने के लिए दृष्टिकोणों को, प्रासंगिक नीतियों या आचार संहिता के उल्लंघनों को तथा कार्य करने और रिपोर्ट करने के दायित्वों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

7.2 बच्चे और युवा, परिवार, कर्मचारी एवं स्वयंसेवक प्रभावी शिकायत प्रबंधन प्रक्रियाओं को समझते हैं तथा ये सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित हैं।

7.3 शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है, तथा इन्हें त्वरित और संपूर्ण प्रतिक्रिया दी जाती है।

7.4 संगठन की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं जो संबंधित अधिकारियों तक शिकायतों व मामलों की रिपोर्टिंग को संबोधित करती हैं, चाहे कानूनन रिपोर्टिंग की आवश्यकता हो या नहीं, तथा वह कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करता है।

7.5 रिपोर्टिंग, गोपनीयता और रोजगार कानून के दायित्वों को पूरा किया जाता है।

**बाल सुरक्षा मानक 8 - जारी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों एवं युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों को ज्ञान, कुशलताएँ एवं जागरुकता प्राप्त है**

बाल सुरक्षा मानक 8 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

8.1 कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को संगठन की बाल सुरक्षा तथा सकुशलता नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित एवं समर्थित किया जाता है।

8.2 कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को अन्य बच्चों एवं युवाओं के कारण होने वाली हानि सहित बच्चों की हानि के संकेतकों को पहचानने के लिए प्रशिक्षण तथा जानकारी प्राप्त होती है।

8.3 कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को बाल सुरक्षा व सकुशलता के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तथा हानि का खुलासा करने वाले सहयोगियों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त होती है।

8.4 कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को बच्चों व युवाओं के लिए सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित परिवेशों को बनाने के बारे में प्रशिक्षण तथा जानकारी प्राप्त होती है।

**बाल सुरक्षा मानक 9 - भौतिक और ऑनलाइन परिवेश बच्चों एवं युवाओं को हानि पहुँचाने के अवसर को कम करते हुए उनकी सुरक्षा तथा सकुशलता को बढ़ावा देते हैं**

बाल सुरक्षा मानक 9 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

9.1 कर्मचारी और स्वयंसेवक बच्चे के निजता के अधिकार, सूचना तक पहुँच, सामाजिक संपर्कों तथा सीखने के अवसरों से समझौता किए बिना ऑनलाइन एवं भौतिक परिवेशों में जोखिमों की पहचान करते हैं और उन्हें कम करते हैं।

9.2 ऑनलाइन परिवेश का उपयोग संगठन की आचार संहिता और बाल सुरक्षा तथा सकुशलता नीति एवं प्रथाओं के अनुसार किया जाता है।

9.3 जोखिम प्रबंधन योजनाएँ संगठनात्मक समायोजनों, गतिविधियों और भौतिक परिवेश से उत्पन्न जोखिमों पर विचार करती हैं।

9.4 तीसरे पक्षों से सुविधाओं और सेवाओं को अनुबंधित करने वाले संगठनों की खरीद नीतियाँ बच्चों तथा युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

**बाल सुरक्षा मानक 10 - बाल सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा और सुधार किया जाता है**

बाल सुरक्षा मानक 10 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

10.1 संगठन नियमित रूप से बाल सुरक्षा प्रथाओं की समीक्षा, मूल्यांकन और सुधार करता है।

10.2 लगातार सुधार को सूचित करने के कारणों और प्रणालीगत विफलताओं की पहचान करने के लिए शिकायतों, मामलों तथा सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है।

10.3 संगठन प्रासंगिक समीक्षाओं के निष्कर्षों पर कर्मचारियों और स्वयंसेवकों, समुदाय व परिवारों एवं बच्चों तथा युवाओं के बारे में प्रलेखन करता है।

**बाल सुरक्षा मानक 11 - नीतियाँ और प्रक्रियाएँ इस बात का प्रलेखन करती हैं कि संगठन बच्चों तथा युवाओं के लिए कैसे सुरक्षित है**

बाल सुरक्षा मानक 11 के अनुपालन में संगठन को कम से कम यह सुनिश्चित करना चाहिए:

11.1 नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सभी बाल सुरक्षा मानकों को संबोधित करती हैं।

11.2 नीतियों और प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता है तथा ये समझने में आसान हैं।

11.3 नीतियों एवं प्रक्रियाओं का विकास सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं के प्रारूपों और हितधारक परामर्श से सूचित होता है।

11.4 मार्गदर्शक नीतियों और प्रक्रियाओं का समर्थन तथा उनके अनुपालन का निरूपण करते हैं।

11.5 कर्मचारी और स्वयंसेवक नीतियों व प्रक्रियाओं को समझते हैं तथा उन्हें लागू करते हैं।

# सहायता कहाँ से प्राप्त करें

बाल सुरक्षा मानक नियामक और उच्चतम या उद्योग निकाय संगठनों को नए मानकों का अनुपालन करने में उन्हें सहायता देने के लिए जानकारी तथा समर्थन प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं। आयोग की [वेबसाइट](https://ccyp.vic.gov.au/child-safe-standards/enforcing-the-standards/changes-to-who-is-regulating-the-child-safe-standards/)पर विभिन्न बाल सुरक्षा मानक नियामकों का अवलोकन दिया गया है।

आप प्रश्नों या पूछताछ के लिए आयोग से संपर्क कर सकते/सकती हैं:

🕻 टेलीफोन: 1300 782 978

🖅 ईमेलः contact@ccyp.vic.gov.au

 आयोग की वेबसाइटः [www.ccyp.vic.gov.au](https://ccyp.vic.gov.au/) परजाएँ।

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो कृपया अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 13 14 50 पर कॉल करें तथा उन्हें बाल और युवा आयोग से 1300 782 978 पर संपर्क कराने के लिए कहें।

यदि आपको सुनाई नहीं देता है, या आप सुनने या बोलने में अक्षम हैं, तो राष्ट्रीय रिले सेवा के माध्यम से हमसे संपर्क करें। और अधिक जानकारी के लिए [www.relayservice.gov.au](http://www.relayservice.gov.au) पर जाएँ।

1. सुलभता के कारणों के लिए इस दस्तावेज़ में 'प्रासंगिक संस्थाओं' के सभी संदर्भों को 'संगठन/नों' से बदल दिया गया है। *बाल सकुशलता और सुरक्षा अधिनियम 2005* की धारा 3(1) में प्रासंगिक इकाई को परिभाषित किया गया है और यह बाल सुरक्षा मानकों के अधीन आने वाली संस्थाओं को शामिल करती है। [↑](#footnote-ref-2)